न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(टीना डाबी,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2017
प्रविष्टि दिनांक 16.01.2017

1–भोमाराम पुत्र जगदीश जाति अहीर निवासी हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2–हनुमान पुत्र रामकरण जाति अहीर निवासी हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–रामदर्शन पुत्र नेहनू जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2–रामकृष्ण पुत्र नेहनू जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज. (मृतक)
2/1 प्रेमलता पत्नी स्व.रामकृष्ण जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/2 पवन पुत्र स्व.रामकृष्ण जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/3 पकंज ऊर्फ दीपक पुत्र स्व.रामकृष्ण जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2/4 पूजा पुत्री स्व.रामकृष्ण जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3–हरिकिशन पुत्र नेहनू जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4–रामा पुत्री नेहनू जाति बलाई निवासी हरिपुरा हरिपुरा (वनस्थली) तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5–तहसीलदार निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार निवाई दिनांक 24.07.2014 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण उनवानी रामर्दशन आदि बनाम भोमाराम आदि

उपस्थिति : (1) श्री सीताराम विजय,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री पवन कुमार जैन,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ता. 4

निर्णय **दिनांक 17.04.2026**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 24.07.2014 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 316 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे से

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

3 बिस्वा वाके ग्राम वनस्थली पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा मानकर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि 7/–रूपये शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थना पत्र अ.धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र अ.धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर प्रकरण मे अभिभाषकगण उभयपक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेण्ट्स की 3 बिस्वा भूमि के अलावा उक्त निर्णय की पालना मे अपीलाण्टस संख्या–1 का आबादी भूमि मे बने बाडे पर से अपीलाण्ट्स के कब्जे को हटाकर रेस्पोडेण्ट्स को दिये जाने का क्षेत्राधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय की पालना मे दिनांक 24.03.2015 को अपीलाण्ट्स संख्या–1 को रेस्पो. की खातेदारी 3 बिस्वा भूमि के साथ–साथ अपने बाडे से भी बेदखल किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स दिनांक 24.03.2015 के आदेश के तहत अपीलाण्ट्स संख्या–1 की पट्टेशुदा आबादी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को कानूनी संरक्षण का जामा पहनाकर संरक्षित करना चाहते है। रेस्पो. को अपीलांट संख्या–1 की पट्टेशुदा भूमि पर बने रहने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस इमदाद से दिनांक 24.03.2015 को अपीलांट संख्या–1 का अतिक्रमण हटाया है। अपीलाण्ट्स द्वारा बाडे पर अनाधिकृत कब्जा करवाने की शिकायत करने पर खसरा नम्बर 315 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम वनस्थली का सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियो द्वारा किया गया तो यह मालूम हुआ कि 3 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष भूमि अपीलाण्ट्स संख्या–1 की पट्टा शुदा आबादी भूमि है और इस पर रेस्पोडेण्ट्स द्वारा पुलिस इमदाद से कब्जा प्राप्त किया है। कब्जा हटवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी निवाई ने अपने आदेश भू–अभिलेख/2015/4211 दिनांक 06.10.2015 से विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई को लिखा गया तो इसकी सूचना रेस्पोडेण्ट्स को प्राप्त होने पर उन्होने सिविल न्यायाधीश निवाई के यहां दावा क्रमांक–74/2015, दीवानी के साथ प्रार्थना पत्र संख्या–66/2015, उनवान हरिकिशन आदि बनाम भोमाराम आदि पेश करके स्थगन आदेश दिनांक 17.09.2015 को प्राप्त कर लिया। अपीलाण्ट्स संख्या–1 के अभिभाषक ने दिनांक 12.01.2017 को कहा कि उन्हें न्यायालय तहसीलदार निवाई के निर्णय दिनांक 24.07.2014 की अपील पेश करनी चाहिए। इस पर अपीलाण्ट्स सं0–1 ने अभिभाषक नियुक्त कर यह अपील पेश की है। अपीलाण्ट्स को पूर्ण विश्वास था कि उसे कब्जा उसके द्वारा की गई शिकायत पर मिल जावेगा, परन्तु रेस्पोडेण्ट्स द्वारा सिविल न्यायालय मे दावा पेश करने से अब अपीलाण्ट्स को उक्त अपील पेश करना आवश्यक हो गया है तथा उक्त कारणो से पूर्व मे अपील पेश नही कर सके। देरी उक्त कारण से हुई है,जो न्याय हित मे माफ किए जाने योग्य है। डिले को कण्डोन करने हेतु अलग से भी प्रार्थना पत्र दफा 5

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

लिमिटेशन एक्ट अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलांट्स को अपने बाडे का कब्जा रेस्पो. से पुनः दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करना न्यायसंगत है। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त 2015 आर.बी.जे. (22) पृष्ठ संख्या 482 व 2014 आर.बी.जे. (21) पृष्ठ संख्या 44 उद्वरित किये है।

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या–1 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का नाजायज कब्जा होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जाति के सदस्य है। धारा 183 बी के प्रावधान विशेष रूप से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लोगो के हित मे सरसरी जांच करके तुरन्त सहायता दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन निर्णय की पालना मे तहसीलदार निवाई द्वारा स्वंय मौके पर उपस्थित होकर दिनांक 24.03.2015 से अपीलांट्स का अतिक्रमण हटाकर रेस्पोडेण्ट्स को 3 बिस्वा भूमि का कब्जा दिया गया है। रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है। अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त 2009 एस.ए.आर (सिविल) सर्वोच्च न्यायालय,1999 डी.एन.जे. (राज.)134 राज.उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 27.01.1999 व 2014 एस.ए.आर (सिविल) 1128 सर्वोच्च न्यायालय उद्वरित किये है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तथा अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2069–2072 वाके ग्राम वनस्थली तहसील निवाई मे आराजी खसरा 316 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी मे दर्ज है। अपीलाण्ट्स का उक्त भूमि पर बाडा बनाकर कब्जा करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को अतिचारी मानते हुई उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम की है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय को रेस्पोडेण्ट्स की 3 बिस्वा भूमि के अलावा उक्त निर्णय की पालना मे अपीलाण्टस संख्या–1 का आबादी भूमि मे बने बाडे पर से अपीलाण्ट्स के कब्जे को हटाकर रेस्पोडेण्ट्स को दिये जाने का क्षेत्राधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न पर्चा मौका ग्राम वनस्थली (हरिपुरा) अनुसार अपीलाधीन निर्णय की पालना मे तहसीलदार निवाई द्वारा स्वंय मौके पर उपस्थित होकर दिनांक 24.03.2015 से अपीलांट्स का अतिक्रमण हटाकर रेस्पोडेण्ट्स को 3 बिस्वा भूमि का कब्जा दिया गया है। अपीलांट्स को आबादी मे स्थित अपने बाडे को लेकर आपत्ति है तो नियमानुसार समक्ष न्यायालय मे वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वंतत्र है। पटवारी हल्का वनस्थली/भू.अ.निरीक्षक वृत वनस्थली की रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी पर अपीलांट्स द्वारा बाडा बनाकर कब्जा करना सिद्व है।

अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा मे से 3 बिस्वा भूमि वाके ग्राम वनस्थली पर बाडा बनाकर कब्जा करना

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षक कि रिपोर्ट से जाहिर है तथा इससे सिद्व है कि अपीलांट्स रेस्पोडेण्ट्स की उक्त खातेदारी की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के अनाधिकृत रूप से काबिज है। अपीलाण्ट्स सामान्य एंव रेस्पोडेण्ट्स अनुसूचित जाति के सदस्य है। उक्त विवेचन से अपीलाण्ट्स का रेस्पोडेण्ट्स की खातेदारी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण है जो राजं0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अतिचारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 24.07.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)